लिंगीय विभेद
GENDER BIAS

मुख्य बिन्दु - Main points :- (1) विषय प्रवेश
(2) लिंगीय विभेद से तात्पर्य
(3) लिंगीय विभेद के कारण
(4) विभेद के प्रकार
(5) लिंगीय विभेदो की समाप्ति के उपाय
(6) ~~निष्कर्ष~~

विषय-प्रवेश (Introduction) :-

शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते समय अनेक सन्दर्भों में असमानता पायी जाती है। एक आवश्यक सन्दर्भ है स्त्री शिक्षा का। बालिका को समाज में हम दर्जा नही दे पाते जो बालक को देते है। प्रत्येक दम्पती की लालसा पुत्र प्राप्त करने की होती है। भ्रूण परीक्षण द्वारा कुछ लोग पहले ही आश्वस्त होना चाहते है जन्म के बाद बालक-बालिका में कुछ लोग भेद करते है। लालन-पालन में भेद रखते है तथा उनकी शिक्षा में भी विषमता होती है। बालिका को समाज का एक वर्ग पढ़ना ही नही चाहते है पढ़ने भेज देता है तो बीच में ही पढ़ाई रोक देता है।

वैदिक काल से ही यह सार्वभौमिक सत्य और सिद्धान्त प्रचलित है कि स्त्री जाति पृथ्वी पर नैतिकता, मानवता और सभ्यता के विकास का अपरिमित स्रोत रही है। वैदिक काल से ही स्त्री को माता, पत्नी और स्त्री के विविध सम्बन्धों में पूज्य माना जाता रहा है,

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

जहाँ नारियों की पूजा होती है अर्थात उनका आदर किया जाता है और उन्हे विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, माता के रूप में जननी सुसंस्कृत बालक को जन्म देती है और उसकी शिक्षा के लिए ऐसा वातावरण सृजित करती है कि वह वास्तव में देवतुल्य सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है।

Kushwaha

लिंगीय विभेद से तात्पर्य
Meaning of Gender Bias

लिंगीय विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में तथा पालन-पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती है। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही, नरक और कई प्रकार के पापो से मुक्ति मिल जाती है और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है; इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेद-भाव लिंगीय विभेद कहलाता है।

लिंगीय विभेद के कारण
Reasons of Gender Bias :—

लिंगीय विभेद प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और यह विभेद भारत ही नही, विश्व के कई देशो मे चला आ रहा है। विभेद कई प्रकार के होते है, जो इस प्रकार है।—

विभेद के प्रकार (Types of Bias) :-

① जातिगत विभेद ② प्रजातीय विभेद ③ लिंगीय विभेद
④ भाषायी विभेद ⑤ रंगगत विभेद ⑥ सांस्कृतिक विभेद
⑦ आर्थिक विभेद ⑧ स्थानगत विभेद

उपर्युक्त सभी विभेद मानवता के लिए खतरा है। मनुष्य की एकता की स्थापना में ये सभी प्रकार के विभेद बाधक है, परन्तु लिंगीय विभेद के कारण बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है तथा जन्म के पश्चात् भी बालिकाओं को आजीवन लैंगिक विभेद का सामना करना पड़ता है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार:- भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ तीस लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है इसी से हम अनुमान लगा सकते है कि लिंगीय विभेद के कारण महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित

इस प्रकार स्पष्ट है कि लिंगीय विभेद के कारण महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

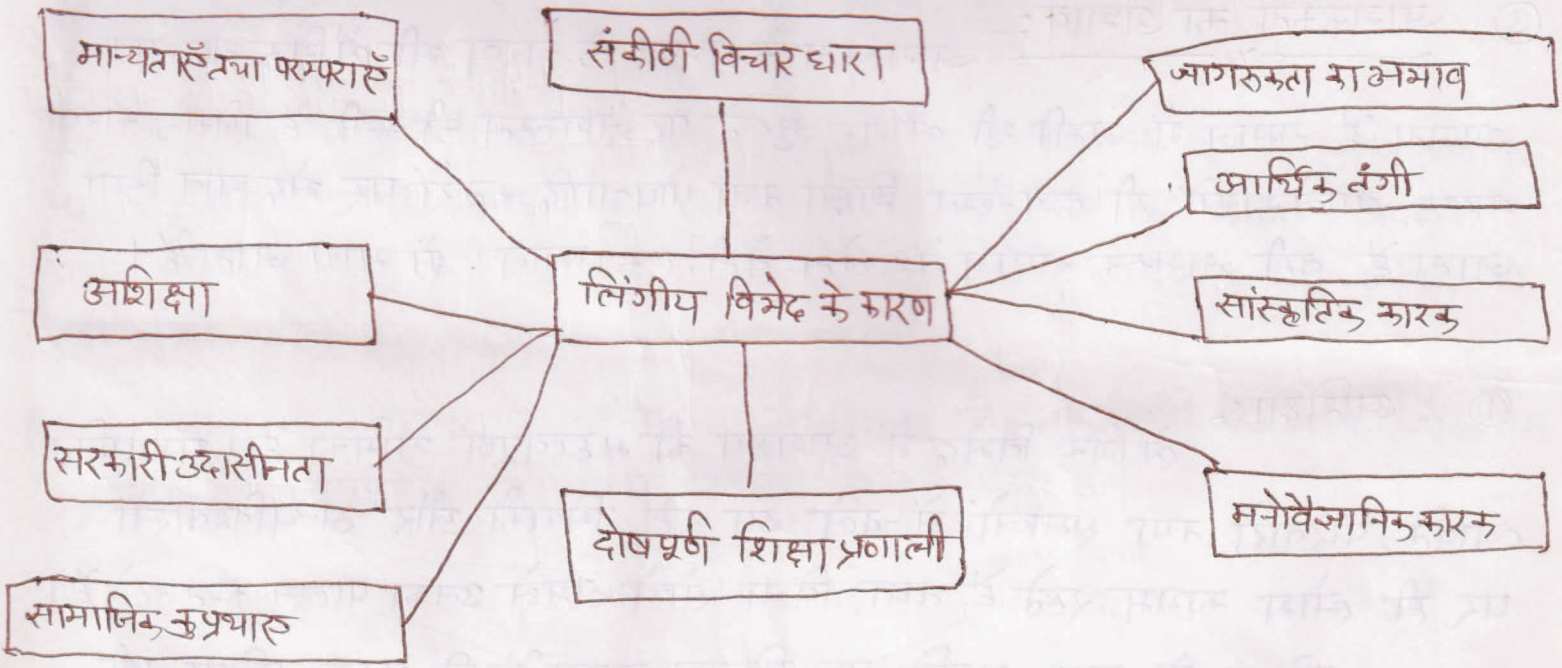

① मान्यताएँ तथा परम्पराएँ :- लिंगीय विभेद का एक प्रमुख कारण है भारतीय मान्यताओं तथा परम्पराओं का है, यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से पुत्र नामक नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिण्डादि कार्य पुत्र के हाथ से सम्पन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता की अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी पुत्र को महत्व दिया जाता है और वंश को चलाने में भी पुरुष को प्रधान माना है। इस प्रकार मान्यताएँ तथा परम्पराएं लिंगीय विभेद में वृद्धि करने का प्रमुख कारण हैं।

② संकीर्ण विचारधारा :- बालक - बालिका में भेद का एक कारण लोगों की संकीर्ण विचारधारा, लड़के माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेगें, वंश चलाएगें, उन्हे पढ़ा- लिखाकर घर की उन्नति होगी, वही लड़की के पैदा होने पर शोक का माहौल होता है, क्योकि उसके लिए दहेज देना होगा।

③ जागरूकता का अभाव :- जागरुकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेदभाव उपजता है समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दो पर जागरुकता की कमी है जिसके कारण बालक- बालिकाओं की देख-रेख शिक्षा तथा पोषणादि स्तरो पर भेद भाव किया जाता है, वही जागरूक समाज में 'बेटा-बेटी एक समान' ही माना जाता है।

④ अशिक्षा :- लैंगिक विभेद में अशिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अशिक्षित व्यक्ति, परिवारों तथा समाजों में चले आ रहे मिथकों और अन्धविश्वासों पर ही लोग कायम रहते है तथा बिना सोचे समझे उनका पालन करते रहते है।

शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह चिन्तन करता है कि यदि स्त्रिया नही होगी तो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व ही नही होगा।

(5) आर्थिक तंगी :- भारतवर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है, ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों सन्तान के रूप में प्राथमिकता देते है जिससे वे उनके श्रम में हाथ बँटाए और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बाँटने का कार्य करे। माता-पिता लड़कियों को पराया धन समझकर रखते है तथा जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग वे लड़की के विवाह में दहेज के रूप में व्यय करते है तथा लड़के के साथ ऐसा नही करना पड़ता है, इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़को की कामना की जाती है, जिससे लैंगिक विभेद पनपता है।

(6) सरकारी उदासीनता :- लिंगीय विभेद बढने में सरकारी उदासीनता भी एक कारक है। सरकार लिंग में भेद-भाव करने वालों के साथ सख्त कार्यवाही नही करती है और चोरी-छुपे चिकित्सालयों और क्लीनिक पर भ्रूण की जाँच तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अबाध रूप से चल रहा है। जिससे लैंगिक भेद-भाव में वृद्धि होती है।

(7) सांस्कृतिक कुप्रथाएँ :- भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष-प्रधान रही है। यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों, विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते है परन्तु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रोपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था।

(8) सामाजिक कुप्रथाएँ :- भारतीय समाज सूचना और तकनीकी के इस युग में तमाम प्रकार की कुप्रथाए है तथा अन्ध विश्वासो से भरा हुआ है।

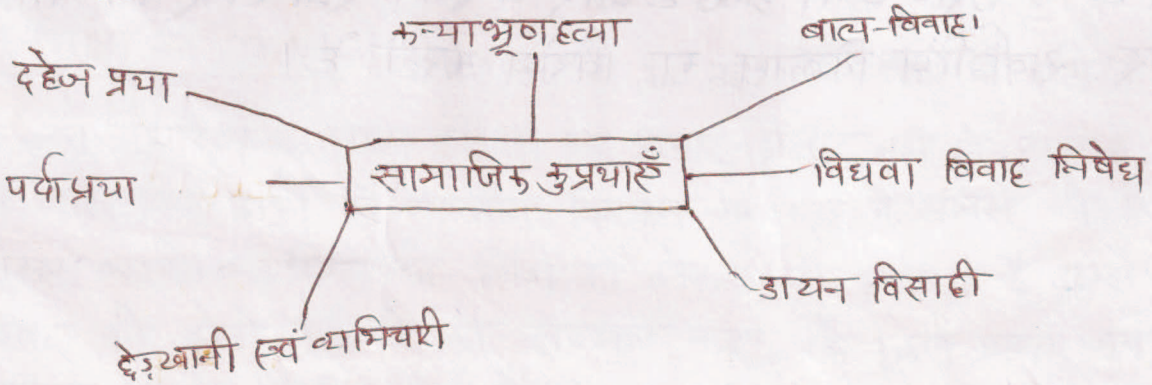

(9) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली:- भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है जिस कारण शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन से नही हो पाता है।

(i) दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
(ii) अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य।
(iii) दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ।
(iv) अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या।
(v) बालिका विद्यालयों का अभाव।
(vi) विद्यालयों का दूर होना।
(vii) व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव
(viii) लैंगिक विभेद

(10) मनोवैज्ञानिक कारक:- लिंगीय विभेद में मनोवैज्ञानिक कारको की भूमिका भी महत्वपूर्ण है प्रारम्भ में ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है तथा महिलाओं को उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन परमेश्वर की भाँति समझकर करना चाहिए। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नही है और पुरुष से ही महिला की पहचान और सुरक्षा है अतः समाज भी आदर्श स्त्री का दर्जा ऐसी महिलाओं को प्रदान करता है जिनके साथ पुरुष का सानिध्य रहता है, अकेली स्त्री को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ है और वे स्वयं स्त्री होकर भी बालिकाओं के जन्म और सर्वांगीण विकास का विरोध करती है।

लिंगीय विभेदो की समाप्ति के उपाय

भारत में शिक्षा तथा साक्षारता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परन्तु लिंगीय विभेदों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी चिन्ताजनक है। बालकों और बालिकाओ में कई प्रकार के विभेद प्रचलित है, जिससे आधी आबादी के मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नही हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्द्ध-सरकारी तथा समाजसेवी उपक्रमों द्वारा किये जा रहे है, जिससे लैंगिक मुद्दो पर जागरूकता लायी जा सके। लिंगीय विभेदो के कारण स्त्री-पुरूष अनुपात की खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह स्थिति और भी भयावह हैं, लैंगिक विभेदों को कम करने तथा धीरे-धीरे उनकी समाप्ति करने हेतु निम्नांकित उपायों को सुझाव-स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है।—

लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय

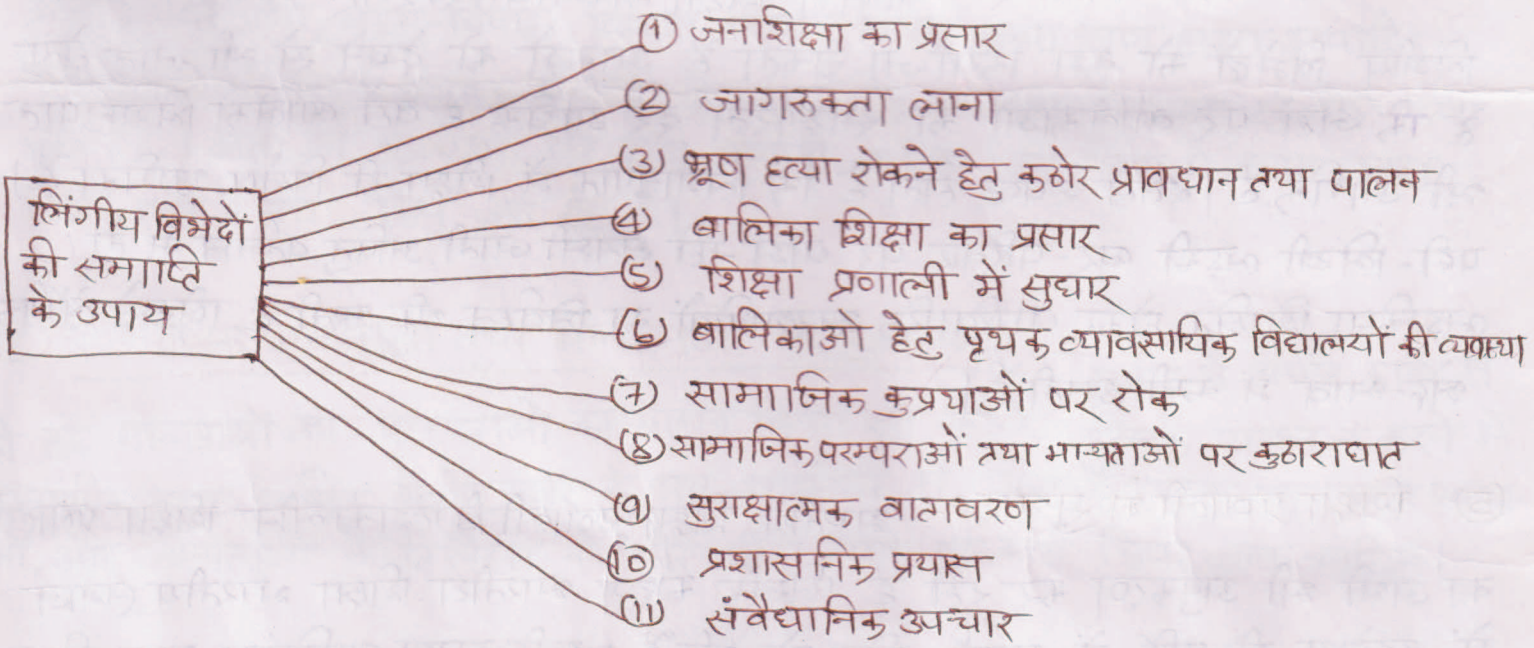

1. जनशिक्षा का प्रसार
2. जागरुकता लाना
3. भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन
4. बालिका शिक्षा का प्रसार
5. शिक्षा प्रणाली में सुधार
6. बालिकाओ हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था
7. सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक
8. सामाजिक परम्पराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात
9. सुरक्षात्मक वातावरण
10. प्रशासनिक प्रयास
11. संवैधानिक उपचार

(1) जन-शिक्षा का प्रसार— स्त्री-पुरुष में तब तक भेद-भाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार नही हो जाता है, वास्तविक अर्थो में वास्तविक अर्थो में भारतीय विशाल जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के-लड़कियों को लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सके। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके लैंगिक विभेदों को कम किया जा सकता है।

② जागरूकता लाना :- भारतीय समाज में आज भी जागरूकता की कमी रही है। इसी कारण स्त्री-पुरुषों में वर्षो से चली आ रही भेद-भाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है।

③ भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन :- भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है तथा जो क्लीनिक ऐसा करते हुए पाये जायेंगे, उन पर भी सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। अतः इसको रोकने के लिए बनाये गये प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए और समाज में भी जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए।

④ बालिका शिक्षा का प्रसार :- बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को कम किया जा सकता है आकड़ो को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहाँ पर बालिकाओं की साक्षारता दर अधिक है वहाँ बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी-लिखी लड़की घर-परिवार पर बोझ नही समझी जाती, अपितु वर्तमान में तो लड़किया शिक्षित होकर पारिवारिक जरूरतों का निर्वहन भी करती है, जिससे लैंगिक भेद-भाव में कमी आती है।

⑤ शिक्षा प्रणाली में सुधार :- भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज में उद्देश्य की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांश माता-पिता यही सोचते है कि किताबी ज्ञान से अच्छा है कि लड़कियाँ घर के कामों में दक्ष बने और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नही समझी जाती है।

अतः समाज को चाहिए की नई शिक्षा नीतियों का अनुकरण करके शिक्षा में सुधार करे।

(6) बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना :-

बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षारता मात्र से नही लाया जा सकता है अपितु उनकी आत्म निर्भरता हेतु रोजगार परक, व्यावसायिक, पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये जिसमें उनकी आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(7) सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक :- समाज में अनेक कुप्रथायें व्याप्त है, जिसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओ पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-बिवाह, विधवा विवाह निषेध, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि प्रचलित है, जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रुप से तोड़ दिया जाता है। अतः इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में तमाम प्रयास किये गये है तथा किये जा रहे है।

(8) सामाजिक परम्पराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात :- समाज में प्राचीन काल से ही कुछ मान्यताओं तथा परम्पराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार के भय व्याक्तियो में व्याप्त है, परन्तु उन गलत परम्पराओं, और मान्यताओं के तिलिस्म को धीरे-धीरे तोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए।

(9) सुरक्षात्मक वातावरण :- बालक तथा बालिका में लिंग में इसलिए भी भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे-जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे माता-पिता को उनकी चिन्ता सताने लगती है क्योकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नही है देश की राजधानी दिल्ली समेत सम्पूर्ण भारत में आये दिन बलात्कार, हीटाक्शी, एसिड फेकने जैसी घटनाएँ महिलाओं के साथ घट रही है। पुलिस तथा प्रशासन के साथ समाज को भी ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण सृजित करना चाहिए जिससे कि बालिकायें जब घर से बाहर निकले तो उनके माता-पिता तथा अभिभावक नि:शंक रह सके। इस प्रकार घर तथा बाहर प्रत्येक स्थान पर सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन होने से बालिकाये अपना अध्ययन और रोजगार निर्भीक होकर करेगीं तथा आगे बढ़कर स्वालम्बी बनेगी जिससे वे पुरुषों की बराबरी कर मुख्य धारा में आ सकेंगी।

(10) प्रशासनिक प्रयास :-

लिंगीय विभेदो को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका भी अत्याधिक महत्वपूर्ण है, जो भी नियम सरकार द्वारा बनाये गये है उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसे चिकित्सालयों, व्यक्तियों तथा क्लीनिकों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा इनकी मान्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेदों को कम करने हेतु साहसी और प्रतिभावान महिलाओं तथा बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जन साधारण की बालिकाओं के विषय में धारणा परिवर्तित हो सके।

(11) संवैधानिक उपचार :- भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त है तथा उनकी समता हेतु अनेक धाराएँ तथा उपबन्धो का निर्धारण किया गया है तथा संविधान में स्त्री-पुरुष में कोई भेद नही किया गया है। मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतना ही बालिकाओं को भी प्राप्त है। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किये गये है, परन्तु उन उपचारों के विषय में जितनी जागरुकता होनी चाहिए वह नही है, अतः इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लिंगीय भेद-भाव को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष (conclusion)

स्वतन्त्र भारत में लिंगीय विभेदो को पाटने तथा इन खाइयों को भरने की दिशा में तमाम प्रकार के कार्य किये जा रहे है, परन्तु जमीनी कार्यो की आवश्यकता अत्याधिक है जिसमें योजनाओं को यथार्थ के धरातल पर उतारकर उनका समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 से 2007) में लिंग तथा सामाजिक खाइयों को भरने हेतु सारगर्भित सुझाव दिये गये है। आयोगो तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी लैंगिक विभेद को समाप्त करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। जब समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदले और सभी क्षेत्रों में वे घर से जब बाहर निकले तो बाहर भी सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन हो तभी इसका समापन हो सकता है।

Kushwaha